नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी0आई0एल0 सं0–50508/2015 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 के अनुपालन में जिला पंचायत सहारनपुर में ग्रामीण क्षेत्र की नदी,नालो,पोखर, आदि से रेत, पत्थर, बजरी आदि को व्यवसायिक दृष्टि से ले जाने एवं एकत्रित करने वाले वाहनों आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी प्रचलित उपविधि, जो शासकीय गजट दिनांक 06 नवम्बर, 1999 में पंचायतीराज की विज्ञप्ति संख्या–5545/प्र0अ0 (आर0ए0)/नाजिर, दिनांक 27.10.1999 एवं इस उपविधि की दरो में किये गये संशोधन की विज्ञप्ति संख्या 8234/प्र0अ0/जिला पंचायत सहारनपुर 2006–07, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 जिसका शासकीय गजट दिनांक 30 सितम्बर, 2006 एवं विज्ञप्ति संख्या 1861/प्र0अ0/एल0बी0री, दिनांक 23 जनवरी, 2010 का प्रकाशन 30 जनवरी 2010 में हुआ था, के अनुसार खनन अभिवहन शुल्क वसूली के ठेके को कार्यादेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2018 तक की अवशेष अवधि के लिए मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित याचिका संख्या 1112/11 में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 27.03.2003 के अनुक्रम में प्रश्नगत याचिका के अन्तिम निर्णयाधीन सार्वजनिक नीलाम दिनांक 22.01.2016 को प्रातः 11:00 बजे सभाकक्ष कार्यालय, जिला पंचायत, सहारनपुर में इस हेतु गठित नीलाम समिति द्वारा किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति, फर्म/सोसायटी/कम्पनी (पंजीकृत) नियत दिनांक, समय व स्थान पर नीलाम में भाग ले सकते है। बोलीदाता को नीलाम तिथि से पूर्व जिलाधिकारी के स्वंय के हस्ताक्षर से जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं दो करोड रूपये की हैसियत का प्रमाण पत्र के साथ जमानत के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर द्वारा जारी अंकन 1,00,00,000.00 रू0 (एक करोड रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सहारनपुर के पदनाम पर बन्धक हो, नीलाम तिथि से तीन दिनांक पूर्व अर्थात दिनांक 19.01.2016 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत,सहारनपुर में जमा कराने होंगें। नीलाम सूचना/नीलाम शरायतें शासकीय वैबसाईट **www.saharanpur.nic.in** पर भी प्रदर्शित की गयी है। नीलाम शरायते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत,सहारनपुर में देखी जा सकती है।

(सुनील कुमार यादव)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,सहारनपुर

कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर

पत्रांक 1320 /जि0पं0–ख0अभि0शु0व0/2015–2016 दिनांकः– 31-12-2015

प्रतिलिपिः–

1. विज्ञापन सम्पादक, समाचार–पत्र दैनिक अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, एवं विश्व मानव, सहारनपुर, दैनिक नव भारत टाईम्स, नई दिल्ली एवं दैनिक पंजाब केसरी, नई दिल्ली को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित इस कार्यालय में यथा शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव महोदय, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
4. मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत,सहारनपुर को अवलोकनार्थ।
5. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
6. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।
7. मा0 जिला न्यायाधीश,सहारनपुर के सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना/नीलाम शरायतें वर्णित शासकीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. उप जिलाधिकारी,सहारनपुर,बेहट,देवबन्द,नकुड,रामपुर मनिहारन का सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. तहसीलदार, सहारनपुर,बेहट,देवबन्द,नकुड,रामपुर मनिहारन का सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0,सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. अधिशासी अभियन्ता,सिचाई विभाग, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
13. अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन)/(वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
14. नीलाम समिति के सदस्यो को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. नियत तिथि तक जमानत एवं वांछित कागजात जमा कराने वाले व्यक्तियो/संस्थाओं/फर्मो को सूचनार्थ।
16. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,सहारनपुर

जिला पंचायत सहारनपुर मे प्रचलित ग्रामीण क्षेत्रो की नदी,नालो,पोखर आदि से रेत,पत्थर,बजरी आदि ढो रहे वाहनो को विनियमित/नियन्त्रित करने सम्बन्धी उपविधियो के अनुसार खनन अभिवहन शुल्क वसूली के ठेके के नीलाम से सम्बन्धित शरायत नीलाम। नीलाम तिथि..................................

1–माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी0आई0एल0 सं0–50508/2015 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 के अनुपालन मे प्रश्नगत उपविधियो के अनुसार खनन अभिवहन शुल्क वसूली के ठेके का नीलाम अवशेष अवधि अर्थात कार्यादेश निर्गत होने के दिनांक से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए किया जायेगा।

2–नीलाम सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा मे छौडा जायेगा।

3–नीलाम से पूर्व बोलीदाता को रूपये 1,00,00,000.00 (रू0 एक करोड) की एफ0डी0आर0 जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर द्वारा जारी की गयी हो और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,सहारनपुर के पदनाम पर बंधक हो, धरोहर के रूप मे समस्त प्रपत्रो के साथ नीलाम तिथि से विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि तक कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर मे जमा करनी होगी।

4–बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म/सोयायटी/कम्पनी को रू0 2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड) का हैसियत प्रमाण पत्र एवं शासनादेश संख्या–5748/33–2–2000–190 जी/2006 दिनांक 17 नवम्बर 2006 एवं शासनादेश संख्या 4435/छ:पु–14–06–60(7)/2006 दिनांक 2 नवम्बर 2006 (कार्यालय मे देखा जा सकता है) मे निर्देशित प्रकिया के अनुसार जिला अधिकारी के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र,मूल निवास प्रमाण पत्र संस्था की दशा मे पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप मे नीलाम तिथि से तीन दिन पूर्व अर्थात दिनांक 19–01–2016 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत,सहारनपुर में प्रस्तुत करने होगें। प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रो का सत्यापन कराने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का फैक्स नम्बर,दूरभाष नम्बर,मोबाईल नम्बर की जानकारी लिखित रूप मे प्रपत्र जमा करने वाले व्यक्ति/फर्म/सोयायटी/कम्पनी को देनी होगी। प्रपत्रो के सत्यापन में प्रपत्र सही पाये जाने के उपरान्त ही व्यक्ति/फर्म/सोयायटी/कम्पनी बोली देने हेतु पात्र माना जायेगा।

5–नीलाम समाप्ति के तुरन्त बाद उच्चतम बोलीदाता को अपनी उच्चतम बोली का 1/3 भाग का धन मौके पर ही जमा करना होगा। यदि उच्चतम बोलीदाता नियत धनराशि जमा करने मे असमर्थ रहे तो उसका धरोहर धन जब्त करते हुए यदि नीलाम समिति उचित विचारे तो द्वितीय बोलीदाता को धन जमा कराने का अवसर दिया जायेगा। यदि वह भी धन जमा कराने मे असमर्थ रहे तो उसका धन भी जब्त कर आगे भी जहां तक नीलाम समिति उचित विचारे यही प्रकिया अपनायी जा सकती है।

6–किसी व्यक्ति/फर्म/सोयायटी/कम्पनी की ओर से बोली देने की दशा मे उसकी बोली तभी अनुमन्य होगी जबकि बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष मे फर्म/सोसायटी/कम्पनी द्वारा वैध अधिकार पत्र जारी किया गया हों।

7–पागल,दिवालिया,नाबालिग अथवा अधिवक्ता (जो राज्य बार काउंसिल मे पंजीकृत हो) नीलामी मे भाग नही ले सकते है।

8–जिला पंचायत सहारनपुर के अध्यक्ष,सदस्य,कर्मचारी/अधिकारी का निकट सम्बन्धी, जो शासनादेश संख्या–6596डी/33–2–93–69जी/93 दिनांक 01.11.1993 (जो कार्यालय मे देखा जा सकता है) मे परिभाषित है, नीलाम मे भाग नहीं ले सकते हैं।

9–बोलीदाता को नियत स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रपत्र वास्तविक एवं सत्य हैं तथा उसके विरूद्ध कोई शासकीय देय बकाया नही है।

10–प्रपत्रो के सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये व्यक्ति/फर्म/सोयायटी/कम्पनी की सूची नीलाम तिथि से एक दिन पूर्व जिला पंचायत, सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। पात्र फर्म/सोयायटी/कम्पनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही नीलाम में भाग लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

25/12/15 25-12-15

11–नीलाम के दौरान यदि अप्रत्याशित बोली प्राप्त होती है तो प्राप्त बोली का पूर्ण अथवा आंशिक धन नीलाम के मध्य जमा कराने के उपरान्त नीलाम पुनः अनवरत रखने का अधिकार नीलाम समिति का होगा। यदि अप्रत्याशित बोली का बोलीदाता धन जमा नही करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर अन्य बोलीदाताओं के मध्य नीलाम जारी रखा जायेगा।

12–यदि उच्चतम बोलीदाता नीलाम समिति के निर्देशो के अनुसार निश्चित समयान्तर्गत अपनी बोली का धन जमा नही करता है और प्रथम उच्चतम एवं द्वितीय उच्चतम बोली का अन्तर अत्यधिक प्रतीत होता है तो प्रथम उच्चतम बोलीदाता की जमानत जब्त करते हुए तत्काल द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की बोली से ऊपर नीलाम की कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार नीलाम समिति का होगा। नीलाम समिति यही प्रकिया तृतीय बोलीदाता की बोली तक अपना सकती है।

13–नीलाम समिति यदि उचित विचारे तो नीलाम के मध्य किसी भी बोलीदाता को उसकी बोली का समस्त धन किसी भी समय जमा कराने का निर्देश दे सकती है। यदि बोलीदाता नीलाम समिति के निर्देशो का पालन नही करता तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसे नीलाम मे भाग लेने का अधिकार नही होगा।

14–नीलाम स्वीकार होने पर ठेकेदार को नीलाम/ठेके की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप मे राष्ट्रीयकृत बैक/पोस्ट ऑफिस की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप मे एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,सहारनपुर के पदनाम पर बंधक कराकर कार्यालय मे जमा करनी होगी तथा शासन द्वारा नियत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। ठेकेदार द्वारा खनन अभिवहन शुल्क की वसूली शासकीय गजट मे प्रकाशित दरो के अनुसार ही की जायेगी।

15–ठेकेदार जिन व्यक्तियो को खनन अभिवहन शुल्क वसूली कार्य में नियुक्त करेगा उनकी सूची उसके दो–दो पासपोर्ट साईज के फोटो सहित कार्यालय में अनुबन्ध पत्र के समय जमा करायेगा। जिला पंचायत द्वारा जारी परिचय पत्र के उपरान्त ही खनन अभिवहन शुल्क वसूली का कार्य किया जायेगा। खनन अभिवहन शुल्क वसूली का कार्य करने वाले व्यक्तियो का राजपत्रित अधिकारी/नोटरी द्वारा जारी (जिसमे अपर मुख्य अधिकारी संतुष्ट हो) चरित्र प्रमाण पत्र भी ठेकेदार द्वारा कार्यालय मे जमा करना होगा।

16–दौरान ठेका यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं प्राकृतिक आपदा अथवा जिला प्रशासन या राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा यदि सम्पूर्ण जनपद मे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से खनन कार्य बन्द किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अथवा मा0 न्यायालय का निर्णय उभयपक्षो पर अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

17–खनन अभिवहन शुल्क वसूली के लिए ठेकेदार को आवश्यक रसीद बहियां अपने व्यय पर छपवानी/बनवानी होगी और जिला पंचायत,सहारनपुर से नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के उपरान्त ही प्रयोग मे लायी जायेगी।

18–उपविधियो अथवा नीलाम शरायतों अथवा अनुबन्ध विलेख की शरायतो का उल्लंघन करने पर ठेके को निलम्बित या रदद करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत सहारनपुर का सुरक्षित रहेगा और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की होनी वाली हानि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

19–जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा ठेके की अवशेष धनराशि बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली प्रमाण पत्र द्वारा वसूल किये जाने का अधिकार जिला पंचायत सहारनपुर का सुरक्षित होगा।

20–यदि नीलाम में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में उसकी उच्चतम बोली के आधार पर ठेका स्वीकार भी कर लिया गया हो और अनुबन्ध पत्र निष्पादित कर कार्यादेश भी निर्गत कर दिया गया हो अर्थात ठेका दिये जाने के उपरान्त भी यदि उपविधियो में कोई संशोधन किया जाता है अथवा उपविधियो मे उल्लिखित शुल्क की दरो में संशोधन होता है अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी वाहन को शुल्क मुक्त किया जाता है तो किया गया संशोधन पक्षकारो को मान्य होगा।

21—नीलाम स्वीकृति से पूर्व प्राप्त उच्चतम बोली के पश्चात यदि कोई व्यक्ति/फर्म/सोयायटी/कम्पनी उच्चतम बोली से अधिक धनराशि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो वह प्रार्थना पत्र प्राप्त उच्चतम बोली में 25 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात कुल धनराशि जिला पंचायत सहारनपुर के पक्ष मे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर ही प्रार्थना पत्र के साथ एवं नीलाम मे भाग लेने हेतु पात्रता की श्रेणी के समस्त प्रपत्र अर्थात हैसियत प्रमाण पत्र,चरित्र प्रमाण पत्र आदि जमा करने के उपरान्त ही पुनः नीलाम करने पर विचार किया जा सकता है।

22—बोलीदाता को अपने स्थाई एंव वर्तमान पते का प्रमाण पत्र दूरभाष संख्या सहित किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर जिला पंचायत सहारनपुर के कार्यालय में जमा करना होगा।

23—अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाला स्टाम्प शुल्क नियमानुसार देय होगा। जिसका व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी स्थिति में स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन विभाग अथवा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ठेकेदार पर बन्धनकारी होगा।

24—महानिरीक्षक निबन्धन,उत्तर प्रदेश शिविर,लखनऊ के पंत्राक 501/शि0क0/ल0ख0/03, दिनांक 27.02.2003 में निहित निर्देशानुसार साझीदारों की व्यक्तिगत सम्पत्ति फर्म के नाम स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त फर्म/सोसायटी/कम्पनी के प्रत्येक साझीदार को अपने अलग—अलग चरित्र प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र,हस्ताक्षर का सत्यापित नमूना इत्यादि समस्त मूल प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

25— यदि ठेकेदार द्वारा नीलाम की धनराशि निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्यालय में जमा नही करायी जाती है तो अंकन 1000.00रू प्रतिदिन जब तक धनराशि जमा नही की जाती है,अर्थ दण्ड के रूप में जमा करेगा। जिसका उत्तरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा।

26—यदि नीलाम में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में उसकी उच्चतम बोली के आधार पर ठेका स्वीकार भी कर लिया गया हो और अनुबन्ध पत्र निष्पादित कर कार्यदेश भी निर्गत कर दिया गया हो अर्थात ठेका दिये जाने के उपरान्त भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/सोसायटी/कम्पनी के भागीदार सकिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यो एंव संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके हर्जे,खर्चे एवं जिला पंचायत, सहारनपुर को होनी वाली हानि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

हस्ताक्षर नीलाम अधिकारी

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सहारनपुर